



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 887]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2015/वैशाख 10, 1937

No. 887]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2015 /VAISAKHA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2015

का.आ. 1142(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की आवश्यकता से छूट के पश्चात्, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद 7(घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7(घ)(क)	जैव-चिकित्सा (बायो-मैडिकल) अपशिष्ट उपचार सुविधाएं		सभी परियोजनाएं	

[फा.सं.3-9/2014-आई.ए. III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं.का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नानुसार पश्चात्तवर्ती संशोधन किए गए:--

1. का.आ.1737(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2007;
2. का.आ.3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
3. का.आ.695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
4. का.आ.2893(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;

5. का.आ.674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
6. का.आ.2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
7. का.आ.2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;
8. का.आ.562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014
9. का.आ.637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
10. का.आ.1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
11. का.आ.2601(अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2014;
12. का.आ.3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
13. का.आ.382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
14. का.आ.811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015; और
15. का.आ.996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015।

### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2015

**S.O.1142(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986) read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 after dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule(3) of the said rule 5 in public interest, namely:—

In the said notification, in the Schedule, after item 7(d) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“7(da)	Bio-Medical Waste Treatment Facilities	-	All projects	-

[F. No. 3-9/2014-IA.III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

1. S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007
2. S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009
3. S.O.695(E) dated the 4th April, 2011
4. S.O.2896(E) dated the 13th December, 2012
5. S.O.674(E) dated the 13th March, 2013
6. S.O.2559(E) dated the 22nd August, 2013
7. S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013
8. S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014
9. S.O.637(E) dated the 28th February, 2014
10. S.O. 1599(E) dated the 25th June, 2014
11. S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014
12. S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014
13. S.O. 382 (E) dated 3rd February, 2015
14. S.O. 811(E) dated 23rd March, 2015
15. S.O. 996(E) dated 10th April, 2015.